डीजी-परिपत्र- 13 /2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जून 02,2017

प्रिय महोदय,

प्रदेश में अराजक तत्वों, संगठित अपराधियों, समाज विरोधी क्रिया-कलापों में संलिप्त व्यक्तियों पर नियन्त्रण रखने तथा उनकी गतिविधियों पर अकुंश लगाये रखने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर से आप सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रदेश में घटित संवेदनशील घटनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में निर्गत निर्देशों का आप एवं आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि घटित घटनाओं के प्रति वरिष्ठ अधिकारियों की गम्भीरता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और समय व्यतीत होने के पश्चात इन घटनाओं के अनावरण की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष एवं निचले स्तर पर छोड़ दी जाती है जिसके फलस्वरूप अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सार्थक प्रयास नही किये जाते है।

आप सहमत होगे कि अपराधियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही न किये जाने से जहॉ समाज के लोगों में भय का माहौल रहता है वहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी उगलियॉ उठती हैं तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश भी नही लग पाता है। इस परिदृश्य में बदलाव की तत्काल आवश्यकता है। इस हेतु कतिपय सुझाव अनुवर्ती प्रस्तरों में सुझाये गये हैः-

1. विगत 10 वर्षो में हुई गंभीर घटनाओं में प्रकाश में आये अपराधियों के बारे में नये सिरे से जानकारी की जाये तथा उनकी सक्रियता पाये जाने पर उनके विरूद्ध शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाये।
2. अपराध तथा अपराधियों पर Zero Tolerance के सिद्धान्त पर कार्यवाही की जाये।
3. सभी प्रकार के माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाये कि इसके ठोस परिणाम परिलक्षित हों तथा कृत कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा अवश्य की जाये।
4. अपराध घटित होने पर सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की सक्रियता/उदासीनता का मूल्यांकन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
5. बीट प्रणाली, पुलिस गश्त एवं पिकेट व्यवस्था में सुधार हेतु क्षेत्राधिकारी स्तर से थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों का आडिट कर अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों को पुलिस की कोर डियूटीज् पर नियुक्त किया जाये। बैकों, सर्राफा दुकानों इत्यादि के आस-पास खुलने एवं बन्द होने के समय पर पुलिस गश्त प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वयित की जाये।

6. समस्त जनपदों में सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन सायंकाल में 60 मिनट भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करते हुये सुदृढ़ पुलिसिंग के द्वारा आम नागरिकों के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित किया जाये एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
7. चार पहिया वाहनों के चालकों के लिये सीट बेल्ट एवं दुपहिया वाहनों पर बैठने वालों के लिये हेल्मेट धारण किया जाना यातायात नियमों के अनुरूप है, किन्तु इस दिशा में अभी भी जागरूकता का अभाव है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं वैधानिक कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कों पर चलने वाले चार पहिया वाहनों के चालक सीट बेल्ट अवश्य पहनें तथा दुपहिया वाहनों के चालक एवं पीछे बैठी सवारी भी हेल्मेट अवश्य धारण करें। चार पहिया वाहनों के शीशों पर अवैध रूप से लगी डार्क फिल्म को हटाने तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध मोटर वेहिकिल एक्ट के प्राविधानों तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
8. सोशल मीडिया- ट्वीटर, वाट्सअप, फेसबुक इत्यादि पर आपत्तिजनक/साम्प्रदायिक/भड़काऊ टिप्पणी पोस्ट करने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में त्वरित कार्यवाही की जाये।
9. गैंग्स्टर एक्ट की धारा 14 तथा क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट (अध्यादेश) 1944 के अन्तर्गत अपराध द्वारा अर्जित की गई सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
10. जन-प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल/सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाये। जन-प्रतिनिधियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों का यथोचित सम्मान करते हुये उनके साथ संवाद स्थापित रखा जाये। उनके द्वारा बतायी गयी समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण कर उन्हें अवगत करा दिया जाये।
11. किसी भी घटना के घटित होने पर पुलिस कर्मियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के रिस्पांस टाइम में और अधिक सुधार की आवश्यता है। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से तथा घटना स्थल पर वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति से न केवल कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहती है, बल्कि घटना के अनावरण सम्बन्धी कार्यवाहियों में भी तेजी आती है, जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास कायम होता है।
12. सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापारिक संगठनों से वार्ता करके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मियों की तैनाती एवं सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन करने हेतु प्रेरित किया जाये।
13. नागरिकों के बीच पुलिस की विश्वसनीयता पर हमारी पूरी कार्यप्रणाली आधारित है। जब तक हमारे थानों की कार्यशैली में सुधार नहीं होगा तब तक हम आदर्श पुलिसिंग को यथार्थ के धरातल पर नहीं उतार सकते। हमे सबसे पहले थानों पर आम आदमी के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। विनम्रता और पीड़ितों के प्रति मर्यादित आचरण प्रदर्शित किये बिना किसी भी प्रकार की सार्थक पुलिसिंग सम्भव नहीं है। थानाध्यक्ष द्वारा थाने पर आने वाले हर जरूरतमंद के दुख-दर्द एवं पीड़ा को धैर्य एवं सहानुभूतिपूर्वक सुनना और पीड़ा के निवारणार्थ प्रयास करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और यहीं से पुलिस की विश्वसनीय की शुरूआत होती है।

मै आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप सभी इन निर्देशों का शुद्ध अन्तःकरण से पालन करते हुए अपने अधीनस्थों से भी इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें जिससे शासन की प्राथमिकताए धरातल पर मूर्त रूप ले सकें। इन निर्देशों की अवहेलना पर प्रतिकूल मंतव्य धारित किया जायेगा।

भवदीय,

21/6/17

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ.प्र. लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ.प्र.लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।